(b) whether the demands include (i) supply of 12 Ozs ration on par with the State Government employees, (ii) grant of ex-gratia Famine Relief, (iii) grant of advance of 3 months' pay recoverable in 36 instalments, and (iv) suspension of all recoveries from the salaries of employees till the situation improves,

(c) if so, the reaction of Government thereto, and

(d) the steps which Government contemplate to take in order to mitigate the suffering of the famine stricken employees and workers of the Central Government working in Bihar?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) and (b) Yes Sir

(c) and (d) It is hoped that the State Government would take action to remove the disparity in the ration scales The Central Government have sanctioned an advance of three months' pay, subject to a maximum of Rs 500, recoverable in 24 equal monthly instalments, to non-gazetted Central Government employees posted in seventeen districts of Bihar affected by drought The concession is also admissible to employees, who hail from such areas but are posted outside, if their families continue to reside in the affected areas The other two demands mentioned in items (ii) and (iv) of part (b) have also been considered but it has not been found possible to agree to them

बम्बई में सोने के तस्कर व्यापारी

4088. श्री सीताराम केसरी :
श्री प्र० मं० सोलंकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई के सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने 13 जून, 1967 को सोने के तस्कर व्यापारियों का एक गिरोह पकड़ा था जिसमें बहुत से प्रतिष्ठित व्यापारी भी शामिल थे,

(ख) क्या यह भी पता लगा है कि उस गिरोह के पास मोटर गाड़ियां, मकान तथा टेलीफोन हैं,

(ग) यदि हां, तो उस गिरोह में कौन कौन से लोग पकड़े गये हैं तथा उनमें प्रतिष्ठित व्यापारियों के नाम क्या हैं,

(घ) क्या इस गिरोह की जिन मोटर गाड़ियों, मकानों तथा टेलीफोनों का पता लगा है उन्हें जब्त कर लिया गया है, और

(ङ) क्या सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार का आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 3 जून 1967 को सीमाशुल्क विभाग बम्बई ने चोरी छिपे सोना लाने ले जाने वालों का एक गिरोह पकड़ा जिसमें कई व्यापारी भी शामिल थे। 13 जून 1967 को ऐसा कोई मामला नहीं हुआ।

(ख) इस गिरोह के कुछ सदस्यों के पास फ्लैट, आफिस, मोटरकार और टेलीफोन हैं।

(ग) अभी तक पकड़े गये व्यक्तियों के नाम ये हैं —

1 चिमनलाल नारायनजी जोशी
2 भेरूलाल उदयचन्द
3 भवरलाल सांवलचन्द बाफना
4 रजब अली हीरजी मेघानी
5 मदनलाल नानकचन्द शर्मा
6 सैयद महमद हुसैन बाबा मिया
7 समरथमल फूलचन्द शाह
8 हीरा लाल हुकमचन्द शाह
9 महेश नानजी ठक्कर

10 जयशंकर प्रभाशंकर पड्या

11 अबूबकर अहमद, और

12. अश्विन मोहनलाल गांधी

इनमे से प्रथम नौ व्यक्ति बम्बई के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं।

(घ) दो मोटर कारे पकड़ी गई है। सीमाशुल्क अधिनियम में मकानों और टेलीफोनों के अभिग्रहण की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) माल तथा सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये की गई मुख्य-मुख्य कार्यवाहियो के बारे मे एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

चोरी छिपे माल लाने ले जाने को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय अपनाये गये है वे ये है सूचना का बाकायदा संग्रह तथा उसका अनुशीलन, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानो की ठीक तरीके से खाना-तलाशी, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के उन भागों की गश्त, जहां से चोरी छिपे माल लाया ले जाया जा सकता हो, और उचित मामलों मे विभागीय न्याय-निर्णय के अतिरिक्त मुकदमे चलाना। विधान के क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिनियम मे अब अदालतों द्वारा कैद की ज्यादा भारी सजा की व्यवस्था है। सोना, हीरे तथा घड़ियां पकड़े जाने के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम मे यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि माल तस्करी से नहीं लाया गया है इस का प्रमाण देने की जिम्मेदारी उन व्यक्तियो पर डाल दी गयी है जिनके पास से माल पकड़ा गया हो। जो महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये गये हैं उनमें से दो मुख्य उपाय ये हैं. (i) फारस की खाड़ी के क्षेत्र मे प्रचलित भारतीय करेन्सी नोटों के स्थान पर 1959 में एक विशेष मुद्रा का प्रचलन करना, क्योंकि पुराने नोट अवैध सोने के लेन-देनो के लिये रुपया जुटाने का आसान साधन बने हुए थे, तथा (ii) स्वर्ण नियंत्रण का लागू किया जाना।

Extension of time to contractors

4089. Shri Lobo Prabhu: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is the general practice to grant extensions of time for the completion of contracts;

(b) *if so, whether it increases the* cost of the contract; and

(c) whether the extensions are due to miscalculations of time or for any other reasons?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh; (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Drinking water supply scheme in Bangalore city

4090. Shri K. Lakkappa: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme envisaged by Government of India to provide grant or loan to Bangalore City Corporation in Mysore State to improve drinking water facilities in Bangalore City;

(b) if so, the nature of the help envisaged by Government of India; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a) Yes

(b) The Scheme is eligible for 100 per cent loan from the Government of India which is the pattern of Central assistance for the Water Supply Schemes under the Urban Phase of the National Water Supply and Sanitation Programme.

(c) Does not arise.